### राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

## अपील संख्या —152/2012/हनुमानगढ

सहायक आयुक्त वृत—बी हनुमानगढ

अपीलार्थी

बनाम मैसर्स मोलूका साबुन उद्योग हनुमानगढ

प्रत्यर्थी

### <u>एकलपीठ</u> श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थितः

श्री अनिल पोखरणा उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक : 05.05.2017

#### निर्णय

यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 304/आरवैट/हनुमानगढ/09—10 में पारित किये गये आदेश 09.03.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी मूल रूप से रूई, बिनौला, तेल तथा खल का विनिर्माण कर विक्रय किया जाता है, जिसके निर्माण में कर योग्य नरमा, कपास एवं बिनौला का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से खरीदशुदा उक्त समस्त नरमा कपास एवं बिनौला पर पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—हनुमानगढ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा गया है) ने जांच कर पाया कि अलोच्य अवधि वर्ष 2006—07 में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने 4 प्रतिशत की दर से वैट चुकाकर कच्चे नरमा, कपास एवं बिनौला की खरीद की तथा इस प्रकार से निर्मित खल, जो कि कर मुक्त है, की कीमत रू. 6,29,129/—पर रू. 25,165/—का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किये जाने पर उसे रिवर्स किया गया तथा आदेश पारित करने की दिनांक उक्त राशि जमा नहीं होने के कारण उस ब्याज रू. 6,795/—आरोपित किया गया है।

इसी प्रकार आलोच्य अवधि में मैसर्स मनीष एण्टर प्राइजेज, हनुमानगढ से रू. 4,91,705/— तथा मैसर्स जितेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी पीलीबंगा से रू. 17,43,295/— की खरीकी जाकर प्रस्तुत वेट—7 में इन्द्राज किया जाकर उस पर आगत कर क्रमशः 19,668/— व रू. 69,732/— कुल रू. 89,400/—आई टी सी क्लेम किया गया।

जांच उक्त दोनों फर्मे अपंजीकृत पायी जाने के कारण उसके द्वारा क्लेम किये गये आई टी सी को इसलिए रिवर्स किया गया कि उक्त राशि जमा होने पर ही देय है। उक्त कर राशि आदेश पारित किये जाने की दिनांक जमा नहीं होने के कारण ब्याज रू. 23,777 /—आरोपित किया।

उक्त प्रकार से रिवर्स की आई टी सी एव आरोपित ब्याज को अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.03.2011 पारित अपील स्वीकार की है, जिससे व्यथित होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 का हवाला देते हुए कथन किया गया कि उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने वेट अधिनियम की धारा 18(1) के विशिष्ट प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से निर्मित कर मुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नरमा, कपास एवं बिनौला की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल खल की बिक्री के अनुपात में आगत कर लाभ को कम करते हुए आनुपातिक रूप से रिवर्स टैक्स आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरण को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1992) 85 एस.टी.सी. 220 एवं माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 123 एस.टी.सी. 449 से आच्छादित मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये आई.टी.सी. को विधिसम्मत नहीं मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स को अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है एवं अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया गया कि आलोच्य अविध में मैसर्स मनीष एण्टर प्राइजेज, हनुमानगढ से रू. 4,91,705/— तथा मैसर्स जितेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी पीलीबंगा से रू. 17,43,295/— की खरीद की जाकर प्रस्तुत वेट—7 में इन्द्राज किया जाकर उस पर आगत कर क्रमशः 19,668/— व रू. 69,732/—कुल रू. 89,400/—आई टी सी क्लेम किया गया। जांच करने पर उक्त

दोनों फर्मे अपंजीकृत है तथा देय कर जमा होना नहीं पाया जाता है। उनका कथन है कि आगत कर का समायोजन अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधानों की पालना के पश्चात अनुज्ञेय है।

विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से वेट चुकाकर खरीद किये गये नरमा, कपास एवं बिनौला के उपयोग का विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया गया है, जिससे विनिर्मित खल पशु आहार होने से कर मुक्त है; जिनका राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कच्चे माल के रूप में वैट चुकाकर खरीदे गये माल के मूल्य पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे पर विचारण के पश्चात वेट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के आलोक में विक्रय किये गये कर योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त दाल के मूल्य के अनुपात पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय होने एवं बिक्रीत कर मुक्त उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त माल के मूल्य के अनुपात पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं होना मानते हुए निर्मित कर मुक्त खल की बिक्री के अनुपात में क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि रिवर्स की जाकर रिवर्स टैक्स एवं ब्याज आरोपित करने का आदेश दिनांक 19.03.2009 पारित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील में पारित किये गये अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 09.03.2011 द्वारा व्यवहारी के प्रकरण को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1992) 85 एस.टी.सी. 220 एवं माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 123 एस.टी.सी. 449 से आच्छादित मानते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिवर्स टैक्स, ब्याज आरोपण के आदेश को अपास्त कर दिया गया है।

इस प्रकरण के सम्बन्ध में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उद्धरित प्रत्यर्थी व्यवहारी के ही प्रकरण से पारित किये गये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009 के विरूद्ध विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193–194/2009, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.12.2011 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पैरा 20 व 21 में प्रतिपादित सिद्धान्त निम्न प्रकार है :--

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the

judgments relied upon by the leanred counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अभिनिर्णय में व्यवहारी को कर मुक्त उत्पाद के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार करते हुए रिवर्स टैक्स आरोपण की सीमा तक कर बोर्ड का विवादित आदेश दिनांक 13.3.2009 अपास्त किया गया है।

अपीलीय अधिकारी द्वारा उद्धरित किये गये माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1992) 85 एस.टी.सी. 220 एवं माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 123 एस.टी.सी. 449 के प्रकरणों के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतया भिन्न होने से उक्त प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में विधिक त्रृटि की गई है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 09.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित रिवर्स टैक्स को यथावत पुनः बहाल (restore) किया जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.03.2011 को अपास्त किया जाता है।

जहां तक आलोच्य अविध में मैसर्स मनीष एण्टर प्राइजेज, हनुमानगढ से रू. 4,91,705/— तथा मैसर्स जितेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी पीलीबंगा से रू. 17,43,295/— की खरीद की जाकर प्रस्तुत वेट—7 में इन्द्राज किया जाकर उस पर आगत कर क्रमशः 19,668/— व रू. 69,732/— कुल रू. 89,400/—आई टी सी क्लेम किया गया। जांच उक्त दोनों फर्मे अपंजीकृत पायी जाने के कारण उसके द्वारा क्लेम किये गये आई टी सी को इसलिए रिवर्स किया गया कि उक्त राशि जमा होने पर ही देय है। उक्त कर राशि आदेश पारित किये जाने की दिनांक जमा नहीं होने के कारण ब्याज रू. 23,777/—आरोपित किया।

उक्त बिन्दु के निर्णय हेतु अधिनियम की धारा आई टी सी. स्वीकृत किये जाने के इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18 का अवलोकन किया जाना समीचनी होगा, जो निम्न प्रकार है:—

18. Input Tax Credit. — (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub—section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of —

- (a) sale within the State of Rajasthan; or
- (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material ,"except those as may be notified by the State Government," in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
- (f) "being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale" in the course of export outside the territory of India; or
- (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub–section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub–section.

"(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed."

उक्त धारा के पठन से स्पष्ट है कि धारा 18(1) के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवहारियों से की गई खरीद पर आई टी सी देय है। जबिक मैसर्स मनीष एण्टर प्राइजेज, हनुमानगढ तथा मैसर्स जितेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी पीलीबंगा से दोनों ही फर्में अपंजीकृत है इसिलए उनके की गई खरीद पर अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के अन्तर्गत

# -6-अपील संख्या -152/2012/हनुमानगढ

आई टी सी अनुज्ञेय नहीं है। प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश उचित एवं विधिक है इसलिए अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश इस बिन्दु पर भी अपास्त किया जाता है।

फलतः विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.03.2011 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय) सदस्य